अपील सूचना अधिकार संख्या 93/2016 अनवानी महावीर सिंह चारण पुत्र भगवानसिंह चारण निवासी यूआईटी क्वाटर्स के पास, इंद्रा कालोनी, बीकानेर बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

13–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री महावीर सिंह चारण उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री महावीर सिंह चारण ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर निम्न सूचनांए चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ श्री अरविन्द जाखड़ द्वारा दिनांक 15.09.2015 से 20.10.2015 तक जब वह एसडीओ घडसाना के पद पर थे अपने उक्त कार्यकाल में इनके द्वारा कितने पौगडेम विस्तापितो के प्रकरण मे आवंटन कार्यवाही की गई। समस्त प्रकरणो के आवंटन पत्रावली की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
2. श्री अरविन्द जाखड द्वारा अनूपगढ (श्रीगंगानगर) एसडओ/एसडीएम के पद पर रहते हुए कितने स्माल पाथ एवं मिडियम पेच के आंवटन किए गए संबधित की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
3. श्री अरविन्द जाखड का अनूपगढ एसडओ/एसडीएन के पदस्थापन कार्यकाल में किये गये कुल भ्रमण की विस्तृत ब्यौरा तथा लोगबुक की प्रति उपलब्ध करावें तथा दैनिक यात्रा डायरी की प्रति भी उपलब्ध करावे।
4. श्री अरविन्द जाखड का अनूपगढ एसडीओ/एसडीएन के पदस्थापन कार्यकाल में कितने दिन अवकाश पर रहे तथा कब–कब मुख्यालय से अन्यत्र बैठक में भाग लिया गया तथा मुख्यालय छोडने की अनुमति के पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि तथा ऐटेण्ड की गई बैठक के मिटिंग मिनटस की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
5. श्री अरविन्द जाखड का अनूपगढ एसडीओ/एसडीएन कार्यकाल में कुल कितने राजस्व प्रकरणों में निर्णय पारित किये गए उन समस्त निर्णयो की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
6. श्री अरविन्द जाखड का अनूपगढ एसडीओ/एसडीएम द्वारा घोषित सम्पति (जो कि एक लोक दस्तावेज है की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे)
7. श्री अरविन्द जाखड का अनूपगढ एसडीओ/एसडीएम कार्यकाल मे उपभोग किए गए वाहन के दस्तावेज ड्राइवर का अनुज्ञा प्रमाण पत्र फिटनेस सर्टिफिकेट इत्यादि की प्रतिलिपि एव उपर्युक्त वर्णित अवधि में वाहन पर किया गया खर्चा यथा–पीओएम–पेट्रोल डीजल लुब्रीकेट, मरम्मत एव अन्य खर्चा के बिल एव स्वीकृति से संबधित दस्तावेजो के प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें एवं वर्ष 2014 व 2015 के लॉगबुक की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
8. श्री अरविन्द जाखड का अनूपगढ एसडीओ/एसडीएन पद पर रहते हुए समस्त प्रकार के बिल यथा टीए, डीए, पेड बाय मी, मडिकल बिल का ब्यौरा एव संबधित सुंसंगत दस्तावेजो की (बिलो की प्रतिलिपि) प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
9. श्री अरविन्द जाखड का अनूपगढ एसडीओ/एसडीएन के कार्यालय की वर्ष 2014 एवं 2015 की हाजरी रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
10. श्री अरविन्द जाखड का अनूपगढ एसडीओ/एसडीएन के खिलाफ वर्ष 2014 एव 2015 में कुल कितनी शिकायते प्राप्त हुई तथा कितने प्रकरणों में इन्हें नोटिस दिया गया की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
11. श्री अरविन्द जाखड का अनूपगढ एसडीओ/एसडीएन ने वर्ष 2014 एवं 2015 में सम्पर्क पोर्टल पर कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उनमें क्या कार्यवाही की गई, तथा कुल पेडिंग प्रकरण कितने है, से संबधित सुसंगत दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
12. उपखण्ड अनूपगढ के क्षेत्राधिकार में अराजीराज, गोचर, चारागाह, मन्दिर माफी की भूमि कितन–कितने क्षेत्र (पृथक–पृथक) है इनमें से कितनी भूमि अतिक्रमण मुक्त तथा कितनी अतिक्रमण युक्त है दस्तावेजो मय चक की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने अपने पत्र सं0 1432 दिनांक 27.04.2016 के द्वारा जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है वह अपूर्ण है। उपर्युक्त लोक सूचना अधिकारी ने अपने भ्रष्ट कृत्यों को छुपाने की मंशा से सूचना नही दी है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने पत्र सं0 815 दिनांक 08.06.16 के द्वारा अपील का बिन्दुवार उत्तर निम्न प्रस्तुत किया हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. यह है कि अपीलार्थी के बिन्दु संख्या 1 उपखण्ड कार्यालय घडसाना से संबधित होने के फलस्वरूप कार्यालय के पत्र कमांक आवंटन /16/493–95 दिनांक 25.04.2016 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु उपखण्ड घडसाना का लिखते हुए आवेदन को सूचित किया गया।
2. बिन्दु संख्या 2 से संबधित सूचना प्रश्नवाचक होने के साथ–साथ किसी प्रकरण विशेष का उल्लेख नही किया गया, जिसके संबध में अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र कमांक पो.बा./आरटीआई/16/1432 दिनांक 27.04.2016 द्वारा कार्यालय समय मे उपस्थित होकर किसी प्रकरण विशेष का अवलोकन रिकार्ड प्राप्त करने हेतू सूचित किया गया था।
3. बिन्दु संख्या 3 से संबधित सूचना हेतु अपीलार्थी द्वारा लोगबुक की प्रति चाही गई थी जिसमें अवधि का उल्लेख नही किया गया था। जिस हेतु अपीलार्थी को अवधि से अवगत करवाकर प्रति पृष्ठ 2/रूपयें जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था एवं शेष वांछित सूचना यथा कुल भ्रमण का विस्तृत ब्यूरो एवं दैनिक यात्रा डायरी कार्यालय स्तर पर तैयार नही होने के कारण उपलब्ध नही होने के संबध में सूचित किया गया था। चूंकि भ्रमण एवं यात्रा से संबधित सूचना सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड रहती है इसलिए पृथक से संधारण नही किया जाता है।
4. बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रश्नवाचक है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है।
5. बिन्दु संख्या 5 की सूचना प्रश्नवाचक होने तथा अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकरण विशेष का उल्लेख किए बिना सूचना चाही गयी है जो केवल मात्र कार्मिको को हैरान एवं परेशान करने के उददेश्य से चाही गयी है। चूंकि निर्णय पत्रावलीवार किए जाते है, पृथक से निर्णय की कोई पत्रावली संधारित नही है। ऐसी स्थिती में अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है।
6. बिन्दु संख्या 6 की सूचना आवश्यक राशि जमा करवारकर उपलब्ध करवाने हेतु सूचित किया गया था।
7. बिन्दु संख्या 7 के संबध मे उल्लेखित है कि लोगबुक की सूचना हेतु राशि जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था, परन्तु अपीलार्थी द्वारा राशि जमा नही करवाई गयी जिसके कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई गयी। उक्त बिन्दु में अन्य वांछित सूचना से संबधित रिकार्ड का संधारण इस कार्यालय स्तर पर नही होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है।
8. बिन्दु संख्या 8 से संबधित किसी व्यक्ति विशेष्ज्ञ की सूचना अलग से रिकार्ड का संधारण नही होने के कारण सूचना तैयार की जाकर दिया जाना संभव नही है। इसी संदर्भ में अपीलार्थी को सूचित किया गया था।
9. बिन्दु संख्या 9 की सूचना निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था, परन्तु अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नही करवाये जाने के कारण सूचना उलब्ध नही करवाई गयी।
10. बिन्दु संख्या 10 की सूचना प्रश्नवाचक होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ़) के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है।
11. बिन्दु संख्या 10 की सूचना प्रश्नवाचक है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है।
12. बिन्दु संख्या 11 की सूचना प्रश्नवाचक है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निवेदन है कि अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र कमांक पो.बा/आरटीआई 216/1432 दिनांक 27.04.2016 द्वारा सूचित किया गया कि जिन बिन्दुओ में प्रकरण विशेष का उंल्लेख नही है उसके लिए कार्यालय समय में उपस्थित होकिंर रिकार्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते है उक्त आधार पर अपील अपीलार्थी को खारिज फरमावे।

पत्रावली में उपलब्ध उपजिला कलक्टर अनूपगढ़ के पत्र सं0 1432 दिनांक 27.04.2016 के अनुसार अपीलार्थी को उक्तानुसार उतर देते हुए बिन्दु सं0 6, 7 व 9 की 82 पृष्ट की सूचना के लिए 164 रूपये जमा करवाने के लिए लिखा गया है जो अपीलार्थी को जमा करवा कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। बिन्दु सं0 1 की सूचना के लिए उपखण्ड अधिकारी घड़साना को लिखा गया है जो अपीलार्थी को वहां से प्राप्त करनी चाहिए। शेष बिन्दु सं0 2, 4, 5, 10, 11, 12 की चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है व बिन्दु सं0 3 के संबंध में अपीलार्थी को विवरण उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया है एवं बिन्दु सं0 8 से संबंधित सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर अनूपगढ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर